

“बिजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114/-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त 2006—भाद्र ९, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11926/290/21-अ/प्रारूपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-8-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006

विषय सूची

भाग-एक
प्रारंभिक

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
2. अधिनियम का लागू होना
3. परिभाषाएं

मुख्यमंत्री का अधिकार ५१

भाग-दो

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना

4. उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना स्वीकृति के बिना नहीं होगी
5. विद्यमान संस्थाओं के लिए विशेष प्रावधान
6. शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति
7. अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन
8. कायिक निधि
9. उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि और आवास स्थान का विस्तार
10. संस्थान के स्थल संबंधी आवश्यकताएं
11. निरीक्षण
12. अनुमति का प्रदाय
13. उन्नयन के लिए अनुमति नहीं
14. नये पाठ्यक्रम, संकाय और कक्षाएं आरम्भ करने हेतु आवेदन

15. कतिपय प्रकरणों में विशेष प्रोत्साहन
16. अनुमति प्राप्त संस्थाएं संबंधित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करेगी
17. अनुमति के बिना सम्बद्धता नहीं
18. अनुमति प्राप्त संस्थाओं के स्थान परिवर्तन और स्थानांतर पर निर्बन्धन
19. अनुमति का प्रत्याहरण
20. परीक्षा प्रणाली पर नियंत्रण
21. स्वरूप के परिवर्तन पर निर्बन्धन
22. प्रवेश का विनियमन
23. शुल्क का ढाँचा
24. भूमि और भवन के वाणिज्यिक उपयोग पर निर्बन्धन
25. आय के उपयोग पर निर्बन्धन
26. स्थायी प्रकोष्ठ की स्थापना

भाग-तीन

सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तें आदि

27. शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती
28. पदोन्नति
29. सेवा शर्तें

भाग-चार

सहायता अनुदान

30. सहायता अनुदान
31. अनुदान के प्रकार
32. अनुदान हेतु आवेदन

33. अनुदान के लिए प्ररूप और घोषणा
34. अनुदान हेतु संस्वीकृति दाता प्राधिकारी
35. वेतन पर सहायता अनुदान संबंधी निर्बन्धन
36. अंकेक्षण
37. अनुदान को रोकने, बापस लेने, निलम्बित नहीं करने अथवा वसूली करने का अधिकार
38. अनुदान का व्यपगत होना

भाग-पाँच

वेतन सहायता प्राप्त शाहीविद्यालयों में संस्थागत निधि, लेखों एवं वेतन भुगतान की प्रक्रिया

अधिकारी एवं उपाधीनी विभाग अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी

39. वर्तमान पद संरचना का संरक्षण
40. शैक्षणिक संस्थाओं को दिया जाने वाले सहायता अनुदान बन्द नहीं किया जायेगा
41. महंगाई भत्ते का भुगतान
42. अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रबन्धन
43. संस्थागत निधि का गठन
44. निधि का परिचालन
45. पासबुक
46. प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारी दो खाते खोलेगा
47. हस्ताक्षर के पूर्व देयकों की जांच
48. शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन पर्ची का प्रावधान
49. शुल्क
50. संस्था में रखी गई राशि के लेखे का पृथक से संधारण
51. लेखा पुस्तकों का संधारण
52. लेखा का वार्षिक अंकेक्षण

भाग-छ:

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के बन्द होने पर सम्पत्ति एवं प्रबंधन का अधिग्रहण

53. बिना सूचना के अशासकीय संस्थान को बन्द आदि नहीं किया जायेगा
54. अशासकीय संस्थान के बन्द होने पर प्रबन्धन द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सम्पत्ति इत्यादि के अभिलेख आदि को सौंपना
55. अशासकीय संस्थान की सम्पत्ति के अन्य संक्रमण पर निर्बन्धन
56. अन्य संक्रमण की अनुमति
57. कठिपय प्रकरणों के लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु प्रबन्धन का दायित्व
58. विवरणियों आदि को प्रस्तुत करना
59. प्रवेश, निरीक्षण और सूचना प्राप्त करने का अधिकार
60. शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के निहित पदों को इस अध्याय के तहत कुछ उद्देश्यों के लिए एक इकाई माना जायेगा

भाग-सात

सहायता-अप्राप्त महाविद्यालयों को तदर्थ अनुदान

61. तदर्थ अनुदान
62. तदर्थ अनुदान हेतु पात्रता की शर्तें
63. निरहंता
64. प्राथमिकता
65. अनुदान की सीमाएं
66. अनुदान हेतु आवेदन
67. अनुदान स्वीकृति पर उत्तरदायित्व

भाग-आठ
विविध प्रावधान

68. नियम बनाने की शक्ति
69. शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण

70. कतिपय प्रकरणों में नियमों की रचना
71. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
72. निरसन तथा व्यावृत्ति
73. इस अधिनियम के प्रावधानों से किसी भी संस्था को मुक्त करने की शक्ति
74. कतिपय राशियों की भू-राजस्व के शेष के तरह वसूली
75. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और कार्यप्रणाली के विनियमन को उपबन्धित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग - एक

प्रारम्भिक

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | <p>(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 होगा।</p> <p>(2) यह उस तारीख से प्रभावशील होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।</p> <p>(3) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।</p> | संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। |
| 2. | <p>छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्ण या आंशिक सहायता प्राप्त करने वाले अथवा सहायता न प्राप्त करने वाले तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अवधारणा के अन्तर्गत एवं राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ में स्थित सभी अशासकीय महाविद्यालयों और अथवा उच्च शिक्षा संगठनों पर यह अधिनियम लागू होगा।</p> | अधिनियम का लागू होना। |
| 3. | <p>इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—</p> <p>(1) “तदर्थ अनुदान” से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा किन्हीं विशेष उद्देशयों के लिए प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृत राशि;</p> <p>(2) “सहायता प्राप्त महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत संधारण अनुदान के द्वारा नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कोई भी महाविद्यालय या संस्थान;</p> <p>(3) “कॉलेज कोड” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) के परिनियम-28 में अन्तर्दिष्ट प्रावधान;</p> <p>(4) “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के द्वारा या अधीन विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार द्वारा समुचित रूप से संधारित या स्वीकृत शिक्षण निजी सहायता या बिना सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, जो महाविद्यालय या महाविद्यालय से भिन्न संस्थान, नाम की स्थापना से चलाये जा रहे हों, किन्तु जो स्वरूप, कार्यक्षेत्र, मापदण्ड से उच्च शिक्षा के महाविद्यालयों के धारणा के अंधीन आती हों;</p> <p>(5) “आयुक्त” से अभिप्रेत है, उच्च शिक्षा का आयुक्त अथवा वह अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे शासन द्वारा अथवा आयुक्त द्वारा अपनी ओर रो शक्तियां प्रदान की गई हों;</p> | परिभाषाएं। |

- (6) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, जिसे शासन द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए, अथवा ऐसे क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों के निवहन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों :
- (7) “शैक्षणिक एजेन्सी (अभिकरण)” से अभिप्रेत है, जब तक विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न हो, शैक्षणिक समिति, सोसायटी, ट्रस्ट या संघ, जो उच्च शिक्षा में आयोजित शैक्षणिक संस्था को प्रायोजित करता हो, उसकी देखरेख करता हो, प्रशासन करता हो, नियंत्रित करता हो अथवा चलाता हो ;
- (8) “कर्मचारी” से अभिप्रेत है, अनुदान प्राप्त या अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्था द्वारा नियोजित शिक्षण अथवा शैक्षणिक स्टॉफ के सदस्य ;
- (9) “संस्थापना समिति” से अभिप्रेत है, विधिवत् पंजीकृत एवं निगमित, पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय या पंजीयन के लिए विधि द्वारा निगमित या शासकीय निगमन जिसकी निधि तथा संधारण ऐसे व्यक्तियों का समूह, जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में प्रविष्ट शैक्षणिक संस्था की स्थापना करता हो और जहां छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम, 1973 की धारा-33 के तहत उस समिति का प्रशासनी निकाय बर्खास्त कर दिया गया हो, वहां राज्य शासन द्वारा समिति की कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ;
- (10) “सामान्य शिक्षा” से अभिप्रेत है, तकनीकी शिक्षा से भिन्न शिक्षा की सभी शाखाएं, जिनमें विशेष शिक्षा सम्मिलित ;
- (11) “शासी निकाय” से अभिप्रेत है, महाविद्यालय संहिता (कॉलेज कोड) के परिनियम क्रमांक-28 के प्रावधानानुसार गठित शासित निकाय,
- (12) “शासन” से अभिप्रेत है, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, छत्तीसगढ़ शासन ;
- (13) “अनुदान” से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा अकादमिक स्तर के उन्नयन एवं संधारण तथा अधो-संरचना के लिए संधारण (वेतन) अनुदान, तदर्थ सहायता अनुदान या प्रकरण अनुसार किसी अन्य रूप में शैक्षिक संस्थाओं को प्रदान किये जाने वाले वित्तीय अनुदान ;
- (14) “उच्च शिक्षा विभाग” से अभिप्रेत है, शासन के अधीन कार्यरत उच्च शिक्षा विभाग ;
- (15) “निरीक्षण” से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों, पंजियों की छान-बीन तथा भवनों, ग्रन्थालयों, प्रयोगशालाओं, क्रीड़ागान तथा अन्य सम्बन्धित मुद्दों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुनिशरित विशिष्ट भौतिक प्रविष्टियों के अनुसार जांच और शैक्षिक संस्था के विकास में शैक्षिक संस्थाओं तथा उसके कर्ता-धर्ताओं का समग्र मूल्यांकन ;
- (16) “संस्था” से अभिप्रेत है, महाविद्यालय ;
- (17) “संधारण/वेतन अनुदान” से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्ते आदि के लिए नियमित रूप से दिया जाने वाला अनुदान ;
- (18) “प्रबन्धन” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सोसायटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के सन्दर्भ में उसका शासी निकाय तथा अभिव्यक्ति ‘संस्था का प्रबन्धन’ तदनुसार व्याख्यायित होगी ;
- (19) “अशासकीय महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे व्यक्तियों के किसी समूह, ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा प्रबन्धीकृत तथा संचालित महाविद्यालय ;

- (20) “सहायता अप्राप्त महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय या संस्था की परिभाषा के अन्तर्गत न आने वाला महाविद्यालय ;
- (21) “संस्थापना समिति का अध्यक्ष” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जो संस्थापना समिति द्वारा विधिवत् उसका अध्यक्ष (जिस नाम से पुकारा जाता हो) चुना गया हो और उसका कार्यकारी प्रमुख हो और यदि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के धारा-33 के तहत समिति बर्खास्त की गई हो, तो राज्य शासन द्वारा समिति के कार्यों के देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का मुखिया ;
- (22) “शिक्षक” से अभिप्रेत है, किसी शैक्षणिक संस्था में शैक्षणिक स्टॉफ का कोई भी सदस्य, जिसे उस संस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया हो ;
- (23) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है, केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से है और कोई भी संस्थान उसमें समाहित है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 में सन्तुष्टि विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से परामर्शपूर्वक मान्य हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य की परिसीमा में कार्यरत हो.

शाग - दो

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना

4. इस अधिनियम की प्रावधानों की अनुकूलता से परे कोई भी शिक्षा-संस्था स्थापित नहीं की जायेगी और कोई व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा जो इस धारा के अधीन प्रदत्त अनुमति को निरस्त किये जाने के बाद ऐसी संस्था चलाता है, उसे साधारण कारावास की सजा, जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो रूपये तीन हजार से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे रूपये पचास हजार तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना स्वीकृति के बिना नहीं होगी।

5. शिक्षा देने वाली सभी संस्थाएं, जो कथित अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावशील होने के तत्काल पूर्व स्थापित एवं मान्यता प्राप्त थीं और इसके लागू होने के समय अस्तित्व में थीं, उन्हें कथित अधिनियम के तहत स्थापित एवं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था माना जायेगा, बशर्ते कि वे कथित अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत नियमों का अनुपालन ऐसी अवधि में और यथानिर्धारित ऐसी प्रक्रिया के अनुरूप पूरा करे, जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है;

विद्यमान संस्थाओं के लिए विशेष प्रावधान।

परन्तु शिक्षा प्रदान करने वाले कोई भी निजी संस्था, जो कथित अधिनियम के लागू होने के समय अस्तित्व में हो, परन्तु इसके लागू होने के तत्काल पूर्व प्रभावशील नियमों के तहत मान्यता प्राप्त न हों, कथित अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन रचित नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त करने आवेदन करेगी और ऐसे प्रत्येक आवेदन का निराकरण सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति के आठ दिनों की समयावधि के भीतर किया जावेगा।

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति।

6. सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्र में स्थान की शैक्षणिक आवश्यकताओं को जानने के लिए सर्वेक्षण करेंगे तथा निम्नलिखित के लिए अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त करने, निर्धारित रीति से स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी करेंगे—

- (क) शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था की स्थापना हेतु; अथवा
- (ख) उच्च शिक्षा की संस्था में उच्चतर कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए; अथवा
- (ग) नया पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पाठ्यक्रम आदि) प्रारंभ करने के लिए।

अनुमति प्राप्त करने हेतु
आवेदन.

7. महाविद्यालय खोलने की आकांक्षा रखने वाली ऐसी कोई भी समिति, जो “छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973” के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत हो, इस बारे में निर्धारित विधि से निमांकित प्रलेखों के साथ शिक्षा सत्र के पूर्व वर्ष के 31 अक्टूबर के पूर्व आयुक्त को आवेदन कर सकती है :—

- (क) सोसायटी के पंजीयन का प्रमाण.
- (ख) प्रबन्धन एवं सम्बन्धित प्रबन्धकारिणी का विवरण.
- (ग) सोसायटी को उपलब्ध निधियों का उनसे सम्बन्धित प्रमाणों सहित विवरण.
- (घ) प्रसाधन, पानी तथा बिजली की मूलभूत सुविधाओं से युक्त कार्यालय, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कॉम्पन रूप, खेल एवं क्रीड़ा आदि के लिए पर्याप्त स्थान वाले भवनों तथा भूमि का विवरण, स्वामित्व, अधिग्रहण या पट्टे की प्रलेखी प्रमाण भी प्रस्तुत किये जाने चाहिए, यह सुनिश्चित केया जाना चाहिए कि, ऐसे प्रावधान कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए किये गये हैं ;
- (ड) संस्था चलाने के लिये आवश्यक अचल सम्पत्ति जैसे कार्यालय, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कॉम्पन रूप आदि के लिए फर्नीचर एवं उपकरणों का विवरण ;
- (च) निगमित निकाय का संविधान, जिसमें अनिवार्यता ; उसके अन्य प्रावधानों के साथ प्रबन्धन एवं उसकी तथा प्रस्तावित संस्थाओं के प्रशासकीय और वित्तीय प्रबन्धन के विनियमों तथा परिनियमों प्रक्रियाओं का विवरण हो ;
- (छ) प्रस्तावित आय एवं व्यय को दर्शने वाले तीन वर्ष के अनन्तिम बजट की प्रति ;
- (ज) प्रस्तावित संकायों और कक्षाओं का विवरण ;
- (झ) अर्जित भूमि और निर्माणाधीन भवनों के लिए अनुमोदित प्लान सहित सक्षम अधिकारियों की अनुमति ;
- (ञ) प्रस्तावित स्थान के बीस किलोमीटर की परिसीमा में उच्च शिक्षा की सुविधाओं की उपलब्धता ;
- (ट) प्रस्तावित क्षेत्र की परिसीमा में स्थित संस्थानों में प्रस्तावित विषयों की उपलब्धता ;
- (ठ) साध्यता रिपोर्ट, यथा—
 - (एक) स्थान विशेष में जनता को उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता.
 - (दो) संस्था की सतत एवं प्रभावपूर्ण देखरेख के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पर्याप्त वित्तीय प्रावधान.
 - (तीन) संस्था की अवस्थिति के लिए स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद वातावरण.

कार्यक निधि.

8. (1) जितनी कि निर्धारित की जाये, उतनी कार्यक निधि (विन्यास) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संस्था की स्थापना के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा के द्वारा अनुमति प्रदान करने से पूर्व शैक्षिक अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
- (2) निजी संस्था की शैक्षणिक एजेन्सी अपनी प्रबन्धकारिणी शासन के प्रतिनिधि के रूप में उच्च शिक्षा के आयुक्त के संयुक्त लेखे में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यक निधि जमा करेगी। जमा को गई कार्यक निधि के आहरण की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी, तथापि शासन, शैक्षणिक एजेन्सी

को संस्था के विकास के लिए निर्धारित आधारभूत निधि के ऊपर उपर्जित ब्याज को पांच से दस वर्ष की अन्तराल में उपयोग में लाने की अनुमति दे सकता है;

तथापि अपवादिक स्थितियों में शैक्षिक-अभिकरण इस अन्तराल को घटाकर तीन वर्ष करने के लिए उच्च शिक्षा के आयुक्त से अनुरोध कर सकता है, तो भी किसी भी स्थिति में यह अवधि किन्हीं निर्धारित शर्तों के साथ तीन वर्ष से कम किसी हालत में नहीं होगी.

9. शैक्षिक संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि और आवास स्थान का विस्तार विहित अनुसार होगा। यह भी कि, शैक्षिक-अभिकरण राज्य शासन द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप प्रस्तावित संस्थान के आवास के लिए सम उपयुक्त भवनों की व्यवस्था करेगा।

उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि और आवास स्थान का विस्तार।

10. शैक्षिक-अभिकरण के पास अपनी खुद की जमीन पर खुद का स्थायी पक्का भवन होना अनिवार्य है। तथापि यदि ऐसा सम्भव नहीं है, तो शैक्षिक अभिकरण उच्च शिक्षा के आयुक्त से अनुरोध कर सकता है, जो निम्न कारणों को दर्ज करते हुए इसकी स्वीकृति दे सकता है :—

संस्थान के स्थल सम्बन्धी आवश्यकताएं।

- (क) यदि संस्था का स्थान निर्धारण जिला पंचायत अथवा नगरपालिका से जुड़ी संस्था के परिसर के अन्तर्गत पंचायत अथवा नगरपालिका से, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तावित संस्था का स्थान-निर्धारण करे और पहले से स्थित संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं जैसे, भवन-संस्था की जगह, फर्नीचर, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला, खेल-मैदान आदि का उपयोग पृथक जगह आदि उपलब्ध होने तक करने की पूर्वानुमति होगी। शैक्षणिक एजेन्सी संस्थाओं की स्थापना के लिए आवेदन सहित अनुमति के लिए पत्र प्रेषित करेगा एवं आवश्यक जगह एवं अन्य सुविधाएं यथाशीघ्र प्रस्तावित संस्था को पूर्णतः उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ;

तथापि, शैक्षणिक एजेन्सी के लिए यह अनिवार्य होगा कि, संस्था को चलाने के लिए पांच वर्ष के भीतर पृथक से जगह उपलब्ध कराये। शैक्षणिक संस्था द्वारा उक्त सुविधा नियत समय के भीतर उपलब्ध कराने में असफल होने पर संस्था चलाने हेतु दी गई अनुमति स्वतः समाप्त मानी जायेगी। तथापि, यह शैक्षणिक एजेन्सी की विवेक पर होगा कि, वह रिक्त स्थान पर कौन सी संस्था चलाना चाहता है।

- (ख) यदि निजी संस्थान का स्थान-निर्धारण किसी निजी जगह में प्रस्तावित है, तो उच्च शिक्षा के आयुक्त शैक्षणिक एजेन्सी को ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि, संस्थाओं को जगह देने के लिए उपयुक्त पट्टे पर प्राप्त संस्था की इमारत अर्जित कर ली गई हो तथा कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टा प्रस्तुत कर दिया हो। शैक्षणिक एजेन्सी यह दर्शाने के लिए प्रलेखी प्रमाण भी प्रस्तुत करेगी कि, उनके पास चाही गई भूमि और निधि भवन निर्माण के लिए है और यह यथाशीघ्र नियत स्थान में कथित भवनों का निर्माण करने के लिए तैयार है।

- (ग) यदि निजी शैक्षणिक संस्था का स्थान-निर्धारण पहले से ही विद्यमान संस्था के परिसर में ही प्रस्तावित है, तो ऐसी शैक्षणिक एजेन्सी प्रस्तावित संस्था को उच्च शिक्षा विभाग और अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के विनिर्देशन के अनुसार आवश्यक जगह तथा फर्नीचर, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला आदि अन्य सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध करायेगी।

- (घ) यदि संस्था को दानदाता द्वारा प्रदत्त भवन में संस्थित किया जाना प्रस्तावित है, तो एतद् सम्बन्धी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) यदि संस्था को ऐसी जगह में संस्थित किया जाना प्रस्तावित हो, जो पूर्व उल्लेखित खण्डों से परे है, तो उच्च शिक्षा के आयुक्त को निर्णय अंतिम माना जायेगा।

- (च) ऐसे शैक्षिक एजेन्सियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में उच्च अध्ययन के संस्थान स्थापित करना चाहते हैं :—

- (एक) ऐसे विकासखण्ड, जहां उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं

- (दो) राज्य के दूरस्थ क्षेत्र, जहां पहुंचना सुगम नहीं है।
- (तीन) अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र, जहां किसी भी ओर शैक्षिक संस्थान स्थित नहीं है।
- (चार) जहां उच्च शिक्षा के अध्ययन की एक जगह से दूसरी जगह की भौतिक दूरी 30 किलोमीटर है, तथापि, अपवादिक प्रकरणों में यह दूरी घटाकर 20 किलोमीटर की जा सकती है;
- (पांच) आदिवासी विकासखण्ड, जहां अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है।
- (छह) ऐसे शहरी क्षेत्र, जहां जनसंख्या के घनत्व के लिहाज से उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं हैं।
- ३८ (सात) जहां स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा में शिक्षा के प्रतिशत के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा का दर अत्यन्त कम है।
- (आठ) जहां शैक्षिक एजेन्सी द्वारा आदिवासी विकासखण्डों में आवासीय महाविद्यालय आरम्भ करने की योजना है;

तथापि, आदिवासी विकासखण्डों में निजी अथवा जनेभागीदारी योजना से आवासीय महाविद्यालय आरम्भ करने कोई भी शैक्षिक एजेन्सी शासन से सम्पर्क कर सकता है।

निरीक्षण,

११. सक्षम प्राधिकारी, आवेदन के विवरणों से संतुष्ट होने पर आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित संस्था के निरीक्षण हेतु, विहित रीति में विशेषज्ञों की एक समिति नाम निर्देशित करेगा। इस हेतु समिति दोनों पक्षों के सुविधाजनक नियम पर विहित शर्तों की पूर्ति की हाद जानने, संस्थागत निरीक्षण करेगा तथा एक माह के भीतर अपने निष्कर्ष तथा अभ्युक्तियां देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि स्वीकृति दी जाये अथवा नहीं। इसके साथ ही प्रतिवेदन में स्वीकृति देने पर या स्वीकृति देने के लिए विषयों, अध्ययन के पाठ्यक्रम, प्रवेश के लिए छात्रों की संख्या तथा शर्तें अदि कोई हों, का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, जो यह नियत करेगा कि, अनुमति दी जा सकती है अथवा दिया जाय।

अनुमति का प्रदान,

१२. (१) अनुमति के प्रदाय की अनुशंसा सम्बन्धी प्रतिवेदन की प्राप्ति कर सक्षम अधिकारी अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगा बशर्ते कि, उसके इस बात से संतुष्ट होने के कारणों परिस्थितियां न हों जिससे आवेदन की अस्वीकृति का औचित्य हो ;

परन्तु अनुमति प्राप्त करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन से सक्षम अधिकारी भिन्न प्रस्ताव देता है, तो उसके लिए यह बाध्य कर होगा कि वह अमान्य करने के अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे।

- (२) अनुमति दिये जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी नियत समय में ऐसी शर्तें, जैसी कि, विहित की जाये, की पूर्ति के आशय को दर्शाते हुए पत्र जारी करेगा। तथापि यह किसी भी स्थिति में संवंधित वर्ष ३१ मई से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा। सम्बन्धित शैक्षणिक एजेन्सी सक्षम अधिकारी को आशय पत्र में दर्शायी गई कमियों को पूरा करने विषयक सूचना देगा। आगे यह भी कि, उक्त एजेन्सी आगामी शिक्षण सत्र में संस्था प्रारम्भ करने हेतु अन्तिम निरीक्षण के लिए अनुरोध करेगा, उसके पश्चात् शैक्षिक संस्थान सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद तत्काल सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्पर्क करेगा।

- (३) शैक्षिक एजेन्सी के द्वारा आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए समय में ढील दिये जाने सम्बन्धी निवेदन की स्थिति में इस प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिवेदन

के उपरान्त ऐसा करना उच्च शिक्षा के आयुक्त के विवेक पर आश्रित होगा।

तथापि, सक्षम अधिकारी कथित प्रयोजनों के लिये दी गई रियायतों से सम्बन्धित पूर्ति के प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को निर्देशित करेगा और लगातार तीन वर्ष तक सन्तोषप्रद प्रगति नहीं पाये जाने पर सूचना जारी करते हुए प्रदत्त अनुमति वापस ले ली मानी जायेगी।

13. उच्चतर माध्यमिक शाला का डिग्री कालेज के रूप में उन्नयन के द्वारा किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी, तथापि, उच्च शिक्षा आयुक्त की पूर्वानुमति से विद्यमान संस्था परिसर में इस शर्त पर स्थापित की जा सकती है कि, शैक्षणिक एजेन्सी प्रस्तावित संस्था की अथवा कोटि के लिए विहित आवश्यकताओं जैसे-स्थान, फर्नीचर, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं अनन्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर ली है।

उन्नयन के लिए अनुमति नहीं।

14. नये पाठ्यक्रम संकाय और कक्षाएं आरम्भ करने सम्बन्धी कोई आवेदन नव स्थापित संस्थाओं के आरम्भ होने की तिथि से तीसरे वर्ष के अंत तक विचारणीय नहीं होगा।

नये पाठ्यक्रम, संकाय और कक्षाएं आरम्भ करने हेतु आवेदन।

तथापि सक्षम प्राधिकारी आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष पश्चात् प्रस्तावित अतिरिक्त अनुभागों अथवा पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक स्थान जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होने की दशा में अतिरिक्त अनुभागों पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की अनुमति दे सकता है।

15. सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा-10 (च) के अधीन लद्धित प्रकरणों में शैक्षिक एजेन्सी के आवेदन पर दिया जायेगा।

क्षमित्य प्रकरणों में विशेष प्रोत्साहन।

- (1) सामान्य प्रकरणों के लिए निर्धारित मानदण्ड से निर्धारित अचल सम्पत्ति अथवा कायिक निधि के मूल्य पर 50 प्रतिशत की छूट जो शासन द्वारा अनुमति प्रदान करने की तारीख से तीन वर्ष अनधिक कालावधि के लिए ऐसे प्रकरणों में होगी, जहां —

- (एक) प्रस्तावित संस्थान, अधिसूचित ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा हो; और
(दो) प्रस्तावित संस्थान के 20 किलोमीटर के दायरे में सामान्य या व्यवसायिक उच्च शिक्षा की संस्था न हो।

तथापि यह उल्लेखित छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन, संबंधित प्रबंधन समिति को किया जायेगा।

- (2) शासन, ऐसे आदिवासी विकासखंडों और अधिसूचित विकासखण्डों में जहां 50 किलोमीटर की दायरे में उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं, शासन स्वयं या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्यक् रूप से पंजीकृत निजी निकाय के स्थानिक बाले विद्यमान उच्चतर माध्यमिक स्कूल के परिसर में नया महाविद्यालय आरम्भ करने अथवा चलाने के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए विचार कर सकती है :—

- (एक) स्थान, फर्नीचर और अन्य शैक्षक सुविधाएं उपलब्ध हों।

- (दो) उपधारा-(1) में उल्लेखित विद्यमान संस्थान की अनुमति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत हो।

- (3) इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि, शैक्षिक एजेन्सी के पास सोसायटी के नाम कम से कम 15 एकड़ की पंजीकृत जमीन हो अथवा जनजातीय क्षेत्र में संस्थान प्रस्तावित होने पर सोसायटी के नाम कम से कम 05 एकड़ की पंजीकृत जमीन हो, शासन निम्नलिखित रियायतें देने पर विचार कर सकता है :—

- (एक) लोक निर्माण विभाग/राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एजेन्सी के प्रावक्कलन के अनुसार तथा निर्माण किये जाने वाले भवनों यथा प्रशासनिक भवन, ब्लासरूम, छात्रावास, क्रीड़ा परिसर एवं प्रयोगशाला पर कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रु. 15 लाख जो भी कम हो ;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों से नियुक्त शिक्षकों के बेतन हेतु अधिकतम रु. 10 लाख जो आराम्भिक 10 वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य होगा;

(तीन) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उपकरणों के क्रय की लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 2 लाख जो भी कम हो;

(चार) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की सुसंगत पाठ्य पुस्तकों की क्रय लागत पर 100 प्रतिशत अथवा रु. 2 लाख जो भी कम हो;

तथापि, उपर्युक्त रियायतें ऐसी संस्था के लिए नहीं होगी, जो परम्परागत पाठ्यक्रम चलाना चाहते हैं।

आगे यह भी कि, स्थित संस्था के जिले के जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित एक समिति ऊपर लिखित रियायतों को नाम निर्देशित करेगी, प्रतिवर्ष ऐसी अनुबोधन समिति के अध्यक्ष हारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर, बांधित रियायतें जारी की जायेगी।

अनुमति प्राप्त संस्थाएं
सम्बन्धित विश्व-
विद्यालयों से सम्बद्धता
प्राप्त करेगी।

16. शासन से अनुमति प्राप्त संस्थान अपनी अकादमिक पाठ्यचर्चा तब तक आरम्भ नहीं करेगा, जब तक सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नहीं कर लेता।

अनुमति के बिना
सम्बद्धता नहीं।

17. किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट विपरीत बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय, किसी संस्थान को उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के अनुमोदन के बगैर सम्बद्धता प्रदान नहीं करेगा। यह भी कि, सम्बद्धता आदेश की एक प्रति सूचनार्थ उच्च शिक्षा के आयुक्त को प्रेषित करेगा।

अनुमति प्राप्त संस्थाओं
के स्थान परिवर्तन और
स्थानांतर पर निर्बन्धन।

18. (1) किसी विशेष क्षेत्र की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थान की अनुमति प्राप्त किसी भी संस्था को अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

तथापि, उसी दृश्यता में एक भवन से दूसरे भवन में संस्था के स्थानांतरण की अनुमति बेहतर जगह देने या अपने ही भवन में स्थानांतरण करने की अनुमति शासन की पूर्वानुमति से देय होगी।

(2) संस्था का एक जगह से दूसरी जगह अनाधिकृत रूप से बदलाव, से संस्था को प्रदत्त अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के अपने आप बापस हो जायेगा।

(3) जिस शैक्षिक एजेन्सी को संस्था स्थापित करने की अनुमति दी गई है, वह किसी भी परिस्थिति में अन्य शैक्षिक एजेन्सी को संस्था का हस्तांतरण नहीं करेगा।

अनुमति का प्रत्याहरण।

19. (1) जहां किसी संस्था का प्रबंधन इस अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित किसी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, वहां सक्षम प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करते हुए तथा प्रबन्धन को ऐसे निरस्तीकरण अथवा कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देते हुए संस्था की अनुमति को रद्द कर सकता है अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है, जो आवश्यक प्रतीत होता है।

(2) जहां शासन का यह अधिमत है, कि शैक्षणिक संस्थान को दी गई अनुमति जनहित में निरस्त की जानी चाहिए, वहां ऐसी संस्था के प्रबन्धन को अभ्यावेदन करने के लिए एक माह की सूचना देकर व कथित संस्था को दी गई अनुमति अधिसूचना द्वारा निरस्त कर सकता है।

- (3) सक्षम प्राधिकारी, निजी शैक्षणिक संस्था को स्वीकृत की गई अनुमति को स्थायी रूप से अथवा किसी विशेष समयावधि के लिए, जैसा उचित प्रतीत हो, तब समाप्त कर देंगे, जब कोई संस्था, जिसमें स्थायी रूप से सम्बद्धता प्राप्त संस्था सक्षम प्राधिकारी के विचार से किसी भी शर्त की पूर्ति करने में असफल रही है।
20. आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन अथवा अशंत: बाह्य या अंशत: आंतरिक मूल्यांकन का विनियमन नियमों के द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि, वह छात्रों के मूल्यांकन की विश्वसनीय एवं प्रभावशील पद्धति के रूप में बनायी जा सके। परीक्षा प्रणाली पर निर्वन्धन।
21. किसी भी परिस्थिति में महिलाओं के संस्थान को सह-शिक्षा या बालकों के संस्थान या परस्पर परिवर्तन/इसके विपरीत बदलने की अनुमति नहीं होगी। स्वरूप के परिवर्तन पर निर्वन्धन।
22. (1) विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन तथा आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन में उस आदेश का विवरण अनिवार्यतः होगा, जिसके तहत संस्था स्थापित की गई है। प्रवेश का विनियमन।
- (2) विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्धारित प्रवेश नियमों के अनुसार होगा।
- (3) विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं दिया जायेगा। संस्था के प्राचार्य प्रवेश नियमों के उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
23. (1) शासन द्वारा शुल्क के निर्धारण और ढांचे के विनियमन के लिए एक सात सदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसका अध्यक्ष उच्च शिक्षा का आयुक्त, सदस्य सचिव, उच्च शिक्षा का अतिरिक्त संचालक होगा। एक सदस्य, प्रबंधन का, महाविद्यालय का प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय का एक प्राचार्य, अशासकीय महाविद्यालयों से एक प्राचार्य तथा, शासन द्वारा शुल्क के ढांचे को विनियमित करने हेतु एक शिक्षाविद् का नाम-निर्देशित किया जायेगा। शुल्क का ढांचा।
- //
- स्थायी समिति शुल्क के ढांचे को निर्धारित करने की प्रक्रिया में संस्था को शासन द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहन को ध्यान में रखेगी।
24. राज्य शासन के अनुमति के बिना भूमि और भवन के वाणिज्यिक उपयोग के जरिये आय की अनुमति नहीं होगी, जहां शासन ने चाहे जिस भूमि प्राप्त करने या उस पर भवन बनाने अथवा दोनों में सहायता प्रदान की हो। भूमि और भवन के वाणिज्यिक उपयोग पर निर्वन्धन।
- //
25. विशिष्ट प्रयोजनों से उपार्जित निधि से प्राप्त किसी भी आय का उपयोग केवल सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए होगा और उसके किसी भी हिस्से को अन्यथा व्यय करने की अनुमति नहीं होगी अथवा व्यवसाय में लगाना मान्य नहीं होगा। आय के उपयोग पर निर्वन्धन।
- //
- तथापि, ऐसी निधि के अवशेष को उपयोग एतद् विषयक आवेदन पर वेतन सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की मेन्सन निधियों में कमी को पूरा करने के लिए या सहायता अप्राप्त महाविद्यालयों में नियमित शिक्षकों के वेतन में कमी को पूरा करने के लिए आयुक्त द्वारा अभिलेखों के निरीक्षण के पश्चात् अनुमति दी जा सकती है।
26. उच्च शिक्षा संचालनालय में अशासकीय संस्थाओं से सम्बन्धित कार्यों के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त संचालक की ब्रेणी से अनिन्न अधिकारी के अधीन एक स्थायी प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा। इस तरह नियुक्त अतिरिक्त संचालक शुल्क ढांचे के लिए गठित स्थायी समिति का सदस्य सचिव होगा। स्थायी पक्कोष्ठ की स्थापना।

भाग - तीन

सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तें आदि

- शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती.**
27. संस्थान में शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी के पद पर भर्ती :—
- (1) राज्य शासन की पूर्वानुमति से और कॉलेज कोड परिनियम क्र.-28 के प्रावधानों के अनुसार होगी ; तथापि अनुमति हेतु आवेदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जायेगा।
 - (2) संस्थान के द्वारा अपने खुद के संसाधनों से शिक्षकों की भर्ती किये जाने पर शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। किसी भी स्थिति में ऐसे पदों को शासन द्वारा पूर्व से ही स्वीकृत सामान्य पदों में पदांतरित नहीं किया जा सकेगा।
- पदोन्नति.**
28. सम्बद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय समय-समय पर कॉलेज कोड परिनियम क्र.-28 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों के स्थानन/पदोन्नति के मामलों में यथोचित कार्रवाई करेगा।
- तथापि, ऐसे स्थानन/पदोन्नतियाँ, आयुक्त, उच्च शिक्षा से पूर्वानुमोदन के अधीन होंगे जो आगे इस पर शासन के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे। इस प्रयोजन के लिए गठित समिति में उच्च शिक्षा के आयुक्त द्वारा नियुक्त एक सदस्य होगा।
- सेवा शर्तें.**
29. विश्वविद्यालय प्रति तीन वर्ष में कम से कम एक बार इन सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का पुनर्विलोकन करेगा तथा समय-समय पर ऐसे पुनर्विलोकन के परिणामों की जानकारी एवं सूचना शासन को देगा।

भाग - चार

अनुदान

- अनुदान.**
30. (1) राज्य में निजी प्रबन्धन के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को आगे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक संस्था की आवश्यकताओं पर आवश्यक विचार के बाद अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) अनुदान इनके लिए मंजूर किया जा सकता है :—
- (एक) सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान के बैतन एवं भर्तों का अनुरक्षण।
 - (दो) भवन।
 - (तीन) उपकरण या जमीन।
 - (चार) अन्य सम्बन्धित प्रयोजन हेतु उस परिमाण में और उन सीमाओं तक तथा उन शर्तों पर जो शासन को उचित लगे।
- (3) अनुदान के सम्बन्ध में शासन का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

31. (1) संधारण अनुदान, एक आवर्ती अनुदान है, जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे कर्मचारियों (शिक्षकों सहित) के बेतन भुगतान के लिए है, जिनकी नियुक्ति अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग या मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की सहमति से हुई है। अनुदान के प्रकार
- (2) तदर्थ अनुदान, एक अनावर्ती अनुदान है, जो गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को प्रदान किया जाता है तथा जो अस्तित्व में हों तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम निरन्तर पांच बर्षों से "अच्छे रिकार्ड" सहित सफलतापूर्वक संचालित हो रहा हो।
32. स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, अशासकीय शैक्षिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध अनुदान के लिए आवेदन पर विचार कर सकता है, बताते कि :— अनुदान हेतु आवेदन
- विशिष्ट अनुदान के लिए आवेदन करने वाली संस्था की पात्रता प्रभावशील रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक समिति के रूप में पंजीकृत है तथा अनुदान की पात्रता के लिए सम्बन्धित विधि के अन्तर्गत शासन द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त है ;
 - तदर्थ सहायता अनुदान के मामले में संस्था कम से कम पांच पूर्ण वर्ष से अधिक समय में अस्तित्व में हो तथा चल रही हो तथा संधारण अनुदान के मामले में दस वर्ष से स्थापित हो ;
 - अनुदान के लिए आवेदन ऐसे प्रयोजनों के लिए है, जैसा कि, शासन ने प्रावधान किया है ;
 - अनुदान के लिए आवेदन किसी निश्चित जाति, वंश या समुदाय पर आधारित किसी वर्ग विशेष के हित को बढ़ावा देने से न जुड़ा हो ;
 - संस्था का ऐसा कोई पूर्ववृत्त न हो, जिससे उसे सहायता के लिए अवोग्य माना गया हो ;
 - संस्था में दर्ज और उससे लाभान्वित छात्रों की संख्या उतनी हो, जितनी कि, सकाम प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समझी जाय।
33. अनुदान की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में निर्धारित शासन को किया जायेगा, साथ में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्धन के हस्ताक्षरयुक्त इस आशय की घोषणा हो :— अनुदान के लिए प्रारूप और घोषणा
- कि, मान्यता एवं अनुदान की उन शर्तों का पालन किया जाता रहा है व किया जायेगा,
 - कि, संस्था के निरीक्षण हेतु सभी सुविधाएं उसका खाता, पंजियां तथा इस प्रयोजन से सम्बन्धित अन्य अभिलेख जब भी वर्णित हो, प्रस्तुत कराये जायेंगे,
 - कि, इसके लिए निर्धारित सभी रिटर्न तथा रिपोर्ट संक्षम प्राधिकारी दो निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
34. ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहाँ शासन का सन्दर्भ वांछित है, आयुल, उच्च शिक्षा, राज्य निधि से भुगतान हेतु अनुदान रखीकृत करेंगे अनुदान हेतु सम्बोधन
35. अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए बेतन पर सहायता अनुदान के बल ऐसे पाठ्यक्रमों एवं विषयों तक सीमित होगा, जो उस सामान्य शिक्षा से ही सम्बन्धित है, जो शासकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध हैं तथा जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। बेतन पर भुगतान सम्बन्धी नियमन

तथापि, यदि सहायता-प्राप्त महाविद्यालय विद्यमान पाठ्यक्रमों से पृथक कोई अन्य नया पाठ्यक्रम आरम्भ करना चाहें तो इस प्रयोजन से जुटाये निजी संसाधनों से वे ऐसा कर सकते हैं।

अंकेक्षण

36. शासन से सहायता प्राप्त कर रहे सभी संस्थाओं के खाते अंकेक्षण के अध्यधीन हैं और आयुक्त, प्रत्येक संस्था के सम्बन्ध में यह निर्णय लेने में स्वतंत्र है कि, ऐसा अंकेक्षण उसके विभाग के अंकेक्षकों से कराया जाय या बाहर से तथा ऐसा अंकेक्षण, कैसे, कितने और अन्तराल में कराया जाये। आयुक्त के द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों को सभी पंजियों तथा रिकार्डों, खाताबहियों आदि तक पूरी पहुंच रहेगी, जिन्हें अंकेक्षक अपने कर्तव्यों के संतोषजनक निर्वहन परिशोलन किये जाने हेतु आवश्यक हो।
37. अधोलिखित स्थितियों में आवश्यक जांच के पश्चात् शासन, संस्था को स्वीकृत अनुदान को रोक, वापस, निलम्बित घटा सकता है अथवा आपत्ति के अधीन पायी गई राशि को बमूल सकता है और अनुदान से सृजित सम्पत्ति को शासन में निहित कर सकता है :—
- (एक) यदि सम्बन्धित संस्था, मान्यता या सहायता के लिए सभी या किसी शर्त को पूरा करने में असफल होती है;
 - (दो) यदि उस जाति या समुदाय के आधार पर किसी छात्र को प्रवेश देने से अख्योकर करती है, जिसका कि, वह छात्र है, या
 - (तीन) यदि प्रबन्धन या संस्था में नियुक्त कोई शिक्षक शासन के प्राधिकार के विरुद्ध निर्देशित राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेता है या छात्रों के मध्य समरूपता विरोधी भावनाओं या असंतोष की भावना को उकसाने को प्रवृत्त होने की धारणा मन में बैठाता है, या
 - (चार) यदि संस्था किसी धर्म के विश्वास और रिवाज के प्रति धृणा या तिरस्कार पैदा करने वाले प्रचार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा देता है, या
 - (पांच) यदि किसी शिक्षक के नियोजन के सम्बन्ध में आयुक्त के किसी आदेश की अवहेलना हो, जिसके प्रमाण-पत्र को नियमपूर्वक जांच के बाद निरस्त या निलम्बित किया गया हो, या किसी नियत जांच के बाद शिक्षक होने के अयोग्य या अवांछनीय पाया गया हो, या पंजियों में जालसाजी है या विशेष शुल्क संग्रहण या अन्य निधि का जिस प्रयोजन से संग्रहण किया गया है, उससे इतर दुरुपयोग किया गया हो या शुल्क अथवा उपस्थिति सम्बन्धी मिथ्या निरूपण हो या विश्वविद्यालय से सामूहिक नकल की सूचना हो या अन्य प्रकरण या अन्य सिद्ध छल-कपट, अनियमितताएं पायी गई हों; या
 - (छ.) यदि कोई सम्बन्धित संस्थान, यू. जी. सी. वेतनमान और राज्य सरकार के अनुसार अपने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बेतन भुगतान करने में असफल रहता है अथवा जानबूझ कर शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशन का उल्लंघन करता है अथवा दर्ज छात्रों की संख्या सारणी के अनुसार पूरे किये गये पाठ्यक्रम की जानकारी और निर्धारित प्रयोजनों के लिए प्रदत्त अनुदान के उपयोग का त्रैमासिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा के आयुक्त को प्रस्तुत करने में चूक करता है, या
 - (सात) यदि मुहैया कराये गये अनुदान का उपयोग, जिसके लिए मंजूर किया गया है, उससे इतर प्रयोजन के लिए किया गया है,

38. राज्य निधि से सहायता के प्रयोजन हेतु संस्था की पात्रता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, यदि संस्था की मान्यता वापस ले ली जाती है और ऐसी अपात्रता उसी तारीख से प्रभावशील होगी, जिससे मान्यता की वापसी प्रभावशील हुई है। इस शर्त के अध्यधीन कोई संस्था जो पूरे वित्तीय वर्ष में अथवा वर्ष के एक भाग में कार्य करती है, ऐसी कालावधि के लिए अनुदान की पात्रता होगी, भले ही उस कालावधि के बाद वह कार्य करे या न करे।

अनुदान का व्यपरगत होना।

भाग - पांच

वेतन सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संस्थागत निधि, लेखों एवं वेतन भुगतान की प्रक्रिया

39. अधिनियम के आरम्भ होने से तत्काल पूर्व प्रवृत्त किसी विधि के अधीन शासन से वेतन सहायता प्राप्त निजी संस्था में शासन द्वारा स्वीकृत अथवा शासकीय अनुमोदन से सुजित शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों की प्रियमान संख्या को राज्य शासन की सहमति के बिना घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जायेगा।

वर्तमान पद संरचना का संरक्षण।

40. अधिनियम के इस भाग में या किसी अन्य भाग में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी निजी प्रबन्धन के अधीन कोई भी शैक्षणिक संस्था संस्था जो कि अनुदान के रूप में अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व किसी प्रचलित विधि के अधीन संधारण अनुदान के रूप में शासन से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है, विना किसी भी प्रकार की कटौती, चाहे जो भी हो, अथवा किसी कमी के बिना ऐसा सहायता अनुदान प्राप्त करना जारी रहेगा, बशर्ते धारा पांच के निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

शैक्षणिक संस्थाओं को दिया जाने वाले सहायता अनुदान बन्द नहीं किया जायेगा।

व्याख्या— “संधारण अनुदान” या वेतन अनुदान का अर्थ तथा इसमें सम्मिलित है, राज्य शासन द्वारा वर्तमान प्रावधानों के अधीन उनके वेतन, महंगाई भत्ते इत्यादि के विरुद्ध प्रदत्त अनुदान।

तथापि, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन भी चलाये जाने वाले ऐसे विषयों, पाठ्यक्रमों एवं संकायों में कार्यरत शिक्षकों के लिए वहीं वेतनमान लागू होगा जो स्कूल शिक्षा विभाग के उन्हीं विषयों, पाठ्यक्रमों एवं संकायों के शिक्षकों के लिए लागू हैं, चाहे ऐसे विषयों, पाठ्यक्रमों एवं संकायों को आरम्भ करने की अनुमति सम्बन्धित महाविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग से ही प्राप्त की हो। यह प्रावधान, 01 नवम्बर, 2000 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

41. (1) ऐसे प्रकरणों में जहां वेतन अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन के द्वारा शासन द्वारा अधिसूचित दर पर महंगाई भत्तों का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया जाता, वहां आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा संस्था की वित्तीय स्थिति की जांच की जायेगी और ऐसे जांच के उपरान्त वह इस बात से संतुष्ट हो कि, प्रबंधन शासकीय दर पर भत्ते के भुगतान के लिए सक्षम हैं तो वह सम्बन्धित प्रबंधन की शासकीय दर पर भत्ते के भुगतान के लिए निर्देशित करेगा।

महंगाई भत्ते का भुगतान।

- (2) यदि ऐसे निर्देश जारी होने के बाद राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाला प्रबन्धन शासकीय दर पर भत्ते का भुगतान नहीं करता है, तो उन्हें दिया जाने वाला अनुदान पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रोक सकता है।

42. प्रत्येक ऐसी संस्था जो अनुदान प्राप्त है, एक या अधिक व्यक्तियों के प्रबंधन के अधीन होगी, जिन्हें विभाग की मान्यता हो जो मालिक, न्यासी या संस्था का संधारण करने वाली सोसायटी या संघ द्वारा चुनी गई समिति के सदस्य की हैसियत में हो जिनके द्वारा संस्था का संधारण किया जाता हो, संस्था का संचालन करेंगे तथा संधारण के लिए उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे नियमों और अनुशासनों को जो समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं, को लागू करने सहित मान्यता एवं सहायता की समस्त शर्तों को पूरा करेंगे।

अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रबन्धन।

- संस्थागतनिधि का गठन.**
- 43. जहाँ संस्था स्थित है, उस क्षेत्र में कोषालय या उप कोषालय में नियमों के अधीन प्रावधित लंखाशीर्ष में शिक्षकों और कर्मचारियों के बेतन भुगतान के प्रयोजन के लिए प्रत्येक संस्था के द्वारा अपना पृथक खाता खाला जायेगा जिसमें संस्था की संस्थागतनिधि को जगा किया जायेगा।
- निधि का परिचालन.**
- 44. अधिनियम के अधीन शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रवन्धन द्वारा नामित संस्था के प्रतिनिधि तथा आयुक्त उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा नामित द्वारा संयुक्त रूप से संस्थागतनिधि का परिचालन किया जायगा। कतिपय स्थितियों में जो कि राज्य शासन के नियमों के अधीन निर्धारित किये जा सकते हैं, आयुक्त अथवा उसके नामिती का आदेश में उल्लेखित अवधि के लिए एकल तौर पर संचालन के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
- पासबुक.**
- 45. (1) प्रत्येक संस्था के लेखा के पास-बुक का संधारण सम्बन्धित संस्था के द्वारा किया जायेगा, जो उसमें प्रविष्टि के लिए उसे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में कोषालय या उप कोषालय भेजेगा।
 - (2) दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए पासबुक का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में कोषालय या उप कोषालय भेजा जायेगा। 31 मार्च की स्थिति में बचत खार्ते का मिलान प्राचार्य अपने द्वारा संधारित लेखों से करेगा। यदि लेखों में कोई विसंगतियां पायी जाती हैं, तो कोषालय या उप कोषालय के लेखों से मिलान के द्वारा उन्हें दूर किया जायेगा।
- प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारी दो खाते खोलेगा.**
- 46. संस्था के ऐसे सभी शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी जो शासन एवं यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित सूची में बेतन महायता के लिए दर्ज हैं, अपनी सुविधानुसार शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में बेतन भुगतान हेतु दो खाते खोलेंगे जिनमें से एक मैं उनका बेतन तथा दूसरे मैं भविष्य निधि की रकम जमा की जायेगी। तथापि, प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी को अधिकाधिक प्रत्येक माह के अंतिम दिवस तक और किसी भी परिस्थिति में आगामी माह की पाच तारीख तक बेतन भुगतान की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन की सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः उच्च शिक्षा के आयुक्त को देनी होगी अन्यथा निर्धारित नियमों के अधीन प्रवन्धन के विशुद्ध कड़ी कार्रवाइ का कारण होगा।
- हस्ताक्षर के पूर्व देयकों की जांच.**
- 47. बेतन देयक और उस पर जारी चेक पर प्रबन्धन के तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकृत नामितों द्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर परिवर्ती के द्वारा नियमानुसार सम्यक् जांच के उपरान्त किये जायेंगे।
- संस्था के बेतन देयक में हस्ताक्षर से पूर्व उच्च शिक्षा विभाग का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुनिश्चित करेगा कि, पूर्व माह में वसूले गये शुल्क का विवरण दो प्रतियों में संलग्न किया गया है और यह भी कि, कोषालय या उप-कोषालय में इस खाते की जमा की जाने वाली निर्धारित राशि जमा कर दी गई है।**
- चेक जारी करने से पहले उच्च शिक्षा विभाग के अधिकृत नामित द्वारा जांच के दौरान देयक अथवा चेक मैं त्रुटि पाये जाने पर तथा सूचित करने पर संस्था के द्वारा ऐसी त्रुटि/त्रुटियों को दूर किया जायेगा।
- शिक्षकों और कर्मचारियों को बेतन पर्ची का प्रावधान.**
- 48. शासन द्वारा नियंत्रित विधि पर नियमानुसार प्राचार्य द्वारा प्रत्येक शिक्षक अथवा कर्मचारी को बेतन पर्ची दी जायेगी, जिसे बेतन मास का बेतन और भत्ते, बेतन से कटौतियां और बैंक खातों में जमा रकम दर्शायी जायेगी।
- शुल्क.**
- 49. अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मानक दरों पर प्रबन्धन द्वारा वसूली गई शुल्क की कुल राशि का पचास प्रतिशत धन संस्था के खातों को पूरा करने के लिए चिन्हित होगा और शेष पचास प्रतिशत को निर्धारित नियमों के अनुसार समायोजन से अथवा चालान के जरिये प्रत्येक माह के अंतिम दिवस तक कोषालय में अथवा उप कोषालय में जमा किया जायेगा।
- संस्था में रखी गई राशि के लेखा का पृथक संधारण.**
- 50. शुल्क का पचास प्रतिशत हिस्सा कोषालय या उप कोषालय में जमा करने के बाद संस्था में रखी गई राशि का लेखा पृथक से संधारित किया जायेगा। इस लेखे के संधारण के लिए प्राचार्य उत्तरदायी होगा।

51. रेकड पुस्तिका, कोषालय चेक बुक और वेतन तथा शुल्क से सम्बन्धित खातों की पुस्तिके, प्रभाणक (व्हाउचर) तथा शुल्क से सम्बन्धित संस्था के कागजात, प्राचार्य की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। लेखा के संधारण की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी और ऑफिट के समय लेखा से सम्बन्धित सभी पुस्तिकों और अन्य कागजात को वह उपलब्ध करायेगा।
52. राज्य निधि से अंतुदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक शैक्षणिक संस्था के लेखा का निरीक्षण और अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिनियुक्त विभागीय अंकेक्षकों के द्वारा किया जायेगा। प्रबन्धन के द्वारा वित्तीय विवरण-पत्रक नियमों में निर्धारित सहपत्रों सहित प्रत्येक वर्ष के अनधिक मई माह के प्रथम दिन आयुक्त समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

लेखा पुस्तिकों का संधारण।

लेखा का वार्षिक अंकेक्षण।

भाग - छ:

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के बन्द होने पर सम्पत्ति एवं प्रबन्धन का अधिग्रहण

53. किंवित अधिनियम में विहित प्रावधानों को छोड़कर अन्य कोई भी निजी संस्थान पूर्णतः या अंशतः बन्द या निरन्तरता क्रमबाधित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि, संगठन के अकादमिक वर्ष से कम से कम एक वर्ष पूर्व इस आशय की सूचना प्रबन्धन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को नहीं दी गई हो।
54. संस्था के बन्द होने, निरन्तरता-क्रम बाधिक होने या अनुमति एवं मान्यता को बापस लेने की स्थिति में प्रबन्धन संभवा उनके अधीन निहित सारी सम्पत्ति, सभी दस्तावेजों तथा लेखाओं को सक्षम प्राधिकारी को सुपुर्द करेगा या सुपुर्दगी करायेगा।
55. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निजी संस्था की किसी भी सम्पत्ति को बेचा नहीं जायेगा, बन्धक नहीं रखा जायेगा, पट्टे पर नहीं दिया जायेगा, गिरवी नहीं रखा जायेगा या अधिकार में परिवर्तन या निर्माण नहीं किया जायेगा सिवाय इसके कि, इस बारे में आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति हो ;
- (2) (क) ऐसी स्थिति के सिवाय, जबकि उसकी राय में ऐसी स्वीकृति संस्था के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव डालेगी, उपधारा-(1) में स्वीकृति के लिए किया गया आवेदन सक्षम अधिकारी के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (ख) सक्षम प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की समयावधि के भीतर स्वीकृति के लिए प्राधित आवेदन को स्वीकृत करते हुए आदेश पारित करेगा।
- (3) उपधारा-(2) के अधीन अस्वीकृति के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति वैसी विधि से और उतने समय में जैसा कि, निहित किया जाये, विहित अधिकारी को अपील कर सकता है ;
- (4) उपधारा-(1) के विरुद्ध किया गया कोई भी लेन-देन अमान्य और विधि विरुद्ध माना जायेगा।
56. शासन की ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा वह जारी कर सकता है, लिखित आदेशपूर्वक ऐसी भवन या भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है यदि :—
- (1) हस्तांतरण शैक्षणिक संस्था के प्रयोजनों के विस्तार या उससे जुड़े हुए आनुषांगिक प्रयोजनों के लिए जो

विभा सूचना के अशासकीय संस्थान को बन्द आदि नहीं किया जायेगा।

अशासकीय संस्थान के बन्द होने पर प्रबन्धन द्वारा समक्ष प्राधिकारी को सम्पत्ति इत्यादि के अभिलेख आदि को सौंपना।

अशासकीय संस्थान की सम्पत्ति के अन्य संक्रमण पर निर्वचन।

अन्य संक्रमण की अनुमति।

- शासन द्वारा अनुमोदित है तथा ऐसे हस्तांतरण से प्राप्त परिलक्षियों का उपयोग पूरी तार पर कार्यक्रम प्रयोजनों के लिए किया जाना है ;
- (2) उपरिकथित प्रयोजनों के विस्तार के लिए हस्तांतरण केवल अंशतः किया गया है बशर्ते कि, शासन के द्वारा निर्देशित अनुसार ऐसे आंशिक हिस्से का भुगतान शासन को किया जाना है ;
- (3) हस्तांतरण अन्य वैध कारणों से किया गया है, बशर्ते कि, इस कथित अधिनियम के अधीन प्रावधित अनुदान की पूरी राशि का प्रतिसंदाय शासन को किया गया है.
- कठिपय प्रकरणों के लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु प्रबन्धन का दायित्व.**
57. जहाँ कोई प्रबन्धनकर्ता ऐसी संस्था के प्रबन्धन के द्वारा प्रदत्त समुचित प्राधिकार के बिना संस्था को चलाने के निमित्त ऋण प्राप्त करता है और जहाँ सक्षम प्राधिकारी जांच के बाद यह पाता है कि, ऐसे ऋण के द्वारा प्राप्त रकमों का उपयोग संस्था के चलाने के लिए नहीं किया है वहाँ कथित ऋणों के भुगतान का व्यक्तिगत दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धनकर्ता का होगा।
- विवरणियों आदि को प्रस्तुत करना.**
58. प्रत्येक शैक्षणिक संस्था उतने समय में, या बढ़ाये गये समय जैसा कि, इस बारे में सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे, सक्षम प्राधिकारी को वे विवरणियाँ, सांख्यिकीय आंकड़े और ऐसी अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करेगी, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो।
- प्रवेश, निरीक्षण और सूचना प्राप्त करने का अधिकार.**
59. सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अध्याय में वर्णित किसी भी सम्पत्ति के अधिग्रहण या कब्जे के प्रयोजन से आदेशपूर्वक—
- (क) अधिनियम के अधीन अधिग्रहीत किये जाने या कब्जे में लेने योग्य आदेश में विशिष्टीकृत किसी भी सम्पत्ति में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने का अधिकार किसी भी प्राधिकारी को दिया जा सकता है।
- (ख) ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार में निहित ऐसे किसी भी अभिलेख/सूचना को प्रस्तुत करने वाल्य किया जा सकता है जो आदेश में विशिष्टीकृत सम्पत्ति से सम्बन्धित हो।
- शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के निहित पदों को इस अध्याय के तहत कुछ उद्देश्यों के लिए एक इकाई माना जायेगा,**
60. इस अध्याय के अधीन शैक्षणिक संस्था के प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के शासन में निहित पद वरिष्ठता, उच्चान्वयन, पदाभाव के कारण पदावनति, परिवीक्षाधीनों की पुनर्नियुक्ति और अनुमोदित परिवीक्षाधीनों तथा पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजनों से एक पृथक इकाई होंगे।
- भाग - सात**
- सहायता-अप्राप्त महाविद्यालयों को तदर्थ सहायता अनुदान**
- तदर्थ अनुदान.**
61. तदर्थ सहायता अनुदान का तात्पर्य है, शासन की राज्य निधि से अलग वार्षिक अनावर्ती सहायता, जिसे उच्च शिक्षा के ऐसी मान्यता प्राप्त गैर-अनुदान संस्थाओं को नीचे निर्धारित शर्तों पर सहायता के योग्य पाए जाने पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दिया जायेगा :—
- (एक) भवन का विस्तार— विशेष रूप से शौचालय, सफाई-गृह, अध्ययन कक्ष, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला भवनों, छात्रा-कक्ष और स्टॉफ रूम इत्यादि के लिए ;
- (दो) शैक्षणिक अथवा तकनीकी प्रयोजन के तहत उपकरण एवं यंत्र क्रय करने हेतु ;
- (तीन) मूल सन्दर्भ के महत्व की पुस्तकों के क्रय हेतु ;

- (चार) ग्रन्थालय के लिए रैक और आलमारी के क्रय हेतु ;
- (पांच) कम्प्यूटर आधुनिक शिक्षोपकरण, शुद्ध जल की सुविधा प्रदान करने हेतु या जल आपूर्ति तथा नाली-पहिति हेतु क्रय के लिए ;
- (छः) कक्षाओं हेतु फर्नीचर के लिए ;
- (सात) धारा 15 के (3) के अन्तर्गत प्रावधानित प्रयोजन हेतु ;

परन्तु अनुदान को नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु निर्धारित मूल-शर्तों की पूर्ति हेतु नहीं दिया जायेगा तथा केवल विकासशील संस्था की वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया जायेगा.

62. आवेदन के इच्छुक संस्थान-

- (क) ने संकाय के प्रथम वर्ष में प्रविष्ट छात्रों के सत्र से पांच वर्ष पूर्ण कर लिया हो ;
- (ख) की छात्रों की संख्या -

 - (एक) शहरी क्षेत्रों के मामले में तीन सौ; से कम न हो
 - (दो) अनुसूचित क्षेत्र के, महिला महाविद्यालयों के एवं ऐसे क्षेत्र जहाँ 25 किलोमीटर की परिधि में उच्च शिक्षा की ऐसी संस्था न हो, के प्रकरण में एक सौ पचास; से कम न हो

- (ग) शैक्षणिक कर्मचारियों को यथासम्भव यू. जी. सी. वेतनमानों के अनुसार तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को शासकीय वेतनमानों के अनुसार वेतन प्रदान करता हो ;
- (घ) सम्बन्धित महाविद्यालय शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों दोनों के वेतन-पत्रक तदर्थ अनुदान की अर्हता के लिए प्रमाण की तरह प्रस्तुत करेगा.

तदर्थ अनुदान हेतु पात्रता की शर्तें

63. कोई संस्था —

- (क) जो इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों या किसी अन्य विधि का अनुपालन न कर पाये ; निरहता.
- (ख) विश्वविद्यालय या आयुक्त कार्यालय द्वारा, जिस पर सामूहिक नकल का दोषारोपण हो या अन्य प्रकार का कदाचरण जो संस्था की ख्याति को प्रभावित करता हो, तदर्थ सहायता अनुदान की पात्र नहीं होगी.

64. अनुदान पर विचार करते समय इन संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी —

प्राथमिकता.

- (क) जो अनुसूचित क्षेत्रों से ;
- (ख) जो केवल महिलाओं की शिक्षा हेतु हो ;
- (ग) जो ऐसे अधिसूचित विकासखण्ड से हो, जहाँ अभी तक उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं हो ;

- (घ) जो प्रबन्धन में जन-निजी भागीदारी के अन्तर्गत स्थापित हो, और जिसमें संस्था की चल और अचल सम्पत्ति का बज से कम 30 प्रतिशत भाग जनता की अंशधारिता के रूप में हो ;
- (इ) जो व्यवसायिक या अनुप्रयुक्त विषय और पाठ्यक्रम के पूर्ण सेटअप में स्थापित और संचालित हो।
- तदर्थ अनुदान की सीमाएं:**
65. (1) शासन अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान मंजूर कर सकता है जो इस शर्त वा अधीन है कि, किसी एक मद के लिए 2 लाख रुपये से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- (2) ऐसी संस्था, जिसे अनुदान स्वीकृत हुआ है, जब तक अनुदान स्वीकृति के तीन वर्ष पूर्ण नहीं कर लेना, अगले अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगी।
- (3) संस्वीकृति की राशि का निर्णय आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित योजना को पात्रता और आंचित्व के आधार पर विभाग या शासन करेगा।
- (4) अनुदान के आकार, स्वरूप एवं राशि के निर्णय का पूर्ण अधिकार शासन को होगा।
- (5) बिना कारण बताये आवेदन को अंशतः या पूर्णतः स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार शासन को होगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा।
- तदर्थ अनुदान हेतु आवेदन:**
66. कोई भी संस्थान शर्तों को पूरा करने की स्थिति में 31 अक्टूबर तक आयुक्त, उच्च शिक्षा को सम्बोधित करते हुए निर्धारित प्रूरूप में तदर्थ सहायता अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- तदर्थ अनुदान स्वीकृति पर उत्तरदायित्व:**
67. इस अंधिनियम के उपर्युक्तों के अध्यधीन :—
- (1) क्रय करने हेतु शासन के भण्डार क्रय नियम, 2004 लागू किया जायेगा।
- (2) तदर्थ अनुदान की वस्तुओं के लिए अलग से पंजी बनायी जायेगी। विसमें सभी वस्तु का उन्नात आवश्यक रूप से अभिलेखबद्ध किया जायेगा।
- (3) तदर्थ अनुदान के व्हाउचर और सम्बन्धित अभिलेखों को अलग से रखा जावाया तथा जब विभाग संपरीक्षक (ऑफिटर) और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।
- (4) तदर्थ अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि के उपयोग अथवा खर्च को उन्हीं मदों तक स्वीकृत रखा जाएगा जिन अनुमोदित योजनाओं/मदों की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा ने तदर्थ अनुदान स्वीकृत करते समय दी थी।
- (5) तदर्थ अनुदान से जो सम्पत्ति अर्जित की गई है, या उससे जो वस्तुएं खरोदी गई है, उनका शासन प्राप्तिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- (6) तदर्थ अनुदान का उपयोग जिन भदों के लिए स्वीकृत घोषित गया है, उसे छोड़कर वेतन के भुगतान आदि जा किन्हीं अन्य प्रदानों के लिए नहीं किया जायेगा।
- (7) तदर्थ अनुदान के उपयोग के खर्च का विवरण संस्था द्वारा व्हाउचर और संपरिक्षण (ऑफिट किये हुए) खाता सहित स्वीकृत आदेश में अनुज्ञात उपयोग की अवधि की समाप्ति के तीन महीने के भातर आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजना होगा।

- (8) जो राशि या रकम खर्च करने से शेष है, उसे संस्था द्वारा शासन को इस धारा की उपधारा-(7) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर तत्काल वापस किया जायेगा।

भाग - आठ
विविध प्रावधान

68. (1) अधिनियम के किन्हीं या सभी प्रयोजनों को लागू करने के लिए शासन अधिनियम के द्वारा नियमों को नियम बनाने की शक्ति बना सकता है।
- (2) विशेष रूप से और बिना पूर्ववर्ती उपधारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम उपबन्धित किये जा सकते हैं :—
- (एक) वह पद्धति, जिसमें इस अधिनियम के तहत कोई जांच होगी ;
 - (दो) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित महाविद्यालयों के द्वारा पंजियों, विवरणों, प्रतिवेदनों और विवरणी, लेखों, आय-व्ययक एवं अन्य जानकारियों को संधारित या प्रस्तुत किया जाना ;
 - (तीन) शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, संधारण और प्रशासन ;
 - (चार) शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमति प्रदान करना और उसके लिए शर्तों; का निर्धारण;
 - (पांच) शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क की दरों, उगाही एवं संग्रहण का विनियमन करना ;
 - (छः) शैक्षणिक संस्थाओं में लेखा, पंजियों, आलेखों और अन्य दस्तावेजों के संधारण की पद्धति तथा ऐसे अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकृत व्यक्ति ;
 - (सात) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निरीक्षण एवं वे अधिकारी, जिनके द्वारा निरीक्षण किया जायेगा ;
 - (आठ) ऐसी संस्थाओं के लेखा के रख-रखाव और अंकेक्षण की पद्धति ;
 - (नौ) शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा और अध्ययन के पाठ्यक्रम का स्तर ;
 - (दस) छात्रवृत्तियों, वजीफों, शुल्क में छूट इत्यादि के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान की राशि के प्रावधान विषयक ;
 - (ग्यारह) सामान्य शिक्षा संस्थाओं के विकास की योजना तैयार करना। ऐसी योजनाओं की विषय सामग्री का निर्धारण तथा प्रस्तुत किया जाना ;
 - (बारह) उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी और अन्य अधीनस्थों के कार्यों एवं अधिकारों का निर्धारण;
 - (तेरह) स्थानीय निकायों तथा निजी संस्थाओं के लिए भवन निर्माण की योजनाओं और प्रावकलनों तथा भवन के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं की तैयारी तथा स्वीकृति विषयक ;

(चौदह) वे प्रयोजन जिनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर का उपयोग किया जा सकता है तथा वे प्रतिबन्ध और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे परिसरों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है;

(पन्द्रह) शैक्षणिक संस्था में पाठ्य पुस्तकों, भानचित्र, योजनाओं, उपकरणों, प्रयोगशाला तथा खेलकृद के उपकरणों के उपयोग का विनियमन ;

(सोलह) शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, असंस्थागत अध्ययन, अन्य विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा उपस्थिति का विनियमन इत्यादि ;

(सत्रह) अधिनियम के अधीन नियत अधिकारियों के द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश के लिए पृगे की जाने वाली आवश्यक अर्हताएं और अन्य शर्तें तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की पद्धति ;

(अठारह) संस्था के अन्तर्गत कक्षाओं और सत्रीय परीक्षाओं के परिचालन की पद्धति ;

(उन्नीस) वे शर्तें जिनके अधीन जनता से दान अथवा अंशदान, शैक्षणिक संस्था द्वारा स्वीकृत किया जा सके तथा संस्थाओं के नामकरण की नीति के सम्बन्ध में ;

(बीस) शैक्षणिक संस्थाओं में सह—शिक्षा की शर्तें एवं छात्रों के अनुशासन एवं आचरण सम्बन्धी विनियमन और अनुशासनहीनता तथा कदाचर के लिए दण्ड के सम्बन्ध में ;

(इवकोस) सूचनाएं, आदेश तथा अन्य कार्यविधियों के प्रस्तुतीकरण की पद्धति और उनके सम्बन्ध में शुल्क तथा तदविषयक कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का निर्धारण ;

(बाइस) किसी प्रमाण-पत्र अथवा अन्य दस्तावेज, जिसके लिए शुल्क लिया जाना हो, के सम्बन्ध में भुगतान या शुल्क के निर्धारण की पद्धति के सम्बन्ध में ;

(तेइस) राज्य स्तर की शैक्षणिक परिषदों के गठन, उनकी संरचना और उनके प्रकारों का निर्धारण ;

(चौबीस) वे सभी विषय जो कथित अधिनियम की आवश्यकतानुसार निर्धारण के लिए प्रकटतः अनुशस्य वांछित हैं, या जिनके सम्बन्ध में अधिनियम में अपर्याप्त प्रावधान है या प्रावधान का अभाव है, और जिस पर शासन की राय में कथित अधिनियम की समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है,

शैक्षणिक संस्थाओं का 69. (1) शासन या सक्षम अधिकारी किसी भी ऐसे अधिकारी को जो निरीक्षण के लिए निर्धारित स्तर से नीचे के पद का न हो, राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्था के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत कर सकता है,

(2) उपधारा-(1) से प्राधिकृत अधिकारी शैक्षणिक संस्था की कार्यप्रणाली पर निरीक्षण के सामान्य अधिकारों का प्रयोग करेगा।

- (3) शैक्षणिक संस्था का प्रबन्धन और कर्मचारीगण सभी संगत-समयों पर ऐसी सहायता और सुविधाएं पूर्वोलिखित अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे जैसा कि, ऐसे निरीक्षण के लिए बांधित हो।
- (4) प्रबन्धक ऐसे निर्देशों अथवा सुझावों का अनुपालन करेगा जैसा कि, दिया गया है, वशर्त कि, ऐसे निर्देशों व सुझावों से व्यव्धित प्रबन्धन ऐसे निर्देशों अथवा सुझावों की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर निर्धारित अधिकारी को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय ऐसी अपील पर अंतिम होगा।
70. कथित अधिनियम के अधीन कोई भी नियम पूर्ववर्ती प्रभाव से बनाया जा सकता है और जब भी ऐसा नियम बनाया जायेगा तब एक वक्तव्य से नियम बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जायेगा, जिसे कि, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
71. शासन या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या अधिनियम द्वारा या अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन के लिए संशक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कथित अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अधीन सदूभावनापूर्वक किये गये या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए कोई बाद, अधियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।
72. तत्समय प्रवृत्त किन्हीं भी अन्य अधिनियमों, नियमों, आदेश में अन्तर्भूत किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील होंगे :—

परन्तु अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना, प्रबन्धन तथा कार्यों को शासित करने वाले सभी अधिनियम तथा नियम जो अधिनियम के नियमन होने की तिथि पर प्रचलित थे, वे उच्च शिक्षा की विभिन्न प्रणियों की अशासकीय संस्थाओं के सम्बन्ध में उस सीमा तक प्रभावशील रहेंगे जिस सीमा तक वे अंधिनियम के प्रावधानों के सम्पूर्ण करते हैं।

73. अधिनियम में अन्तर्भूत किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी शासन सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि उसे आरोपित करना उचित प्रतीत हो अथवा इनके बगैर किसी संस्था या संस्थाओं की प्रणी को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं प्रावधानों से मुक्त कर सकता है;

कतिपय प्रकरणों में नियमों की रचना।

सदूभावनापूर्वक की गड़ कारिनाई का संरक्षण।

नियमन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु ऐसे किसी भी आदेश में पूर्व उल्लिखित शर्त आरोपित करने या मुक्त करने के आधार का स्पष्टीकरण होगा।

इस अधिनियम के प्रावधानों से किसी भी संस्था को मुक्त करने की शक्ति।

74. अधिनियम के अधीन किसी भी संस्था के प्रबन्धन द्वारा जमा की जाने योग्य किसी भी राशि के निर्धारित अवधि में जमा नहीं किये जाने की अवस्था में ऐसी संस्था के प्रबन्धन से वह राशि उसी तरह बसूली जायेगी, जैसी कि भू-राजस्व के बकाये की बसूली की पद्धति है।

कतिपय गश्यों को भू-राजस्व के शेष की तरह बसूली।

75. अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो शासन अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत आदेश द्वारा कठिनाई का निवारण कर सकता है,

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति।

परन्तु अधिनियम के आरम्भ होने से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।